विशेष स्टाम्प — 10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 (×3)

(8)

माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – /निगरानी/2660/2018/छतरपुर/भू.रा.

(1) श्रीपाल तनय साधू नट

(2) तेजराम तनय साधू नट

(3) शान्ती बेवा साधू नट

समस्त निवासीगण ग्राम पटना तह. चंदला जिला छतरपुर म0प्र0

—— आवेदकगण

श्री के० के० द्विवेदी अभि० द्वारा आज दि० 1-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11-5-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

(1) रामशरण तनय हरीराम नट

निवासी ग्राम पटना तह. चंदला जिला छतरपुर म0प्र0

(2) शासन म0प्र0

—— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

निगरानी आदेश विरूद्ध श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय एवं कलेक्टर महोदय छतरपुर के स्वप्रेरणा निगरानी कमांक 12/अ–19/1975–76 में पारित आदेश दिनांक 28.01.1976 से दुखी होकर

महोदय,

आवेदकगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 79/2, 80, 267, 269 रकवा क्रमशः 0.405, 0.384, 0.231, 227 स्थित मौजा पटना की भूमि का भूमि बंटन राजस्व प्रकरण कमांक 2/अ–19 वर्ष 1972–73 आदेश दिनांक 11.11.1973 को नायव

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

2

प्र. क्र.–निग.–2660 / 2018 / छतरपुर / भू.रा.

श्रीपाल आदि विरूद्ध रामशरण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14 –12–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक क्र. 2 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक उपस्थित । 2/ यह निगरानी जिलाध्याक्ष एवं कलेक्टर छतरपुर के स्वप्रेरणा निगरानी के प्रकरण क्रमांक 12/अ–19/1975–76 में पारित आदेश दिनांक 28–01–1976 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर छतरपुर के स्वप्रेरणा निगरानी क्रमांक 12/अ–19/1975–76 में पारित आदेश दिनांक 28–01–1976 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 11–05–2018 को निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो स्पष्टतः अवधि बाह्य है। आवेदकगण द्वारा लगभग 42 वर्ष के विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई समाधानकारक कारण धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन में नहीं दर्शाया है। आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता है कि उसे कलेक्टर के आदेश की जानकारी 42 वर्ष तक नहीं हुई । फलस्वरूप यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज की जाती है। 4/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। (आर.के. जैन) 14.12.18 सदस्य	